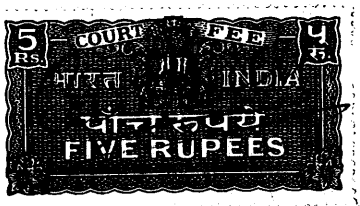

FIVE RUPEES

FIVE RUPEES

103

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

प्रकरण क्र.   /2000 नि0

R-1393-III/2000

श्री ... अभिभाषक द्वारा आज दि० 31-7-2000 को प्रस्तुत

अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

31 JUL 2000

1. महेन्द्र सिंह } पुत्रगण
2. कलियानसिंह } रामसिंह

निवासीगण ग्राम भहेरा
तहसील गोहद जिला भिण्ड

....प्रार्थीगण

बनाम

1. गन्धर्व सिंह } पुत्रगण
2. वेदप्रकाश } अनंतराम
3. बलवंतसिंह उर्फ अशोक सिंह पुत्र मेघसिंह निवासीगण ग्राम लोहारपुरा मौ तहसील गोहद जिला भिण्ड
4. महिला सुखीबाई पत्नी बृजेन्द्रसिंह निवासी ग्राम टपरा बेद लहरा परगना सेवढा जिला दतिया

...प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त चम्बल संभाग आदेश दिनांक 28-4-2000 पारित प्रकरण क्रमांक 204/95-96 अपील, अन्तर्गत धारा 50 रे0को0

श्रीमान्,

निगरानी प्रार्थीगण निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

§1§ यह कि, अधीनस्थ अपर आयुक्त महोदय का आदेश वि. एवं रिकार्ड के विपरीत तथा अनुचित होने से निरसन योग्य है ।

§2§ यह कि, प्रार्थीगण ने प्रतिप्रार्थी क्र.4 के विरुद्ध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक

...2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1393–तीन/2000 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7.2.17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 204/95–96/अपील में पारित आदेश दिनांक 28–4–2000 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदक कं. 1 लगायत 3 अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पक्षकार नहीं थे इस कारण उन्हें अपील करने का अधिकार नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय में अपील अवधि बाह्य थी जिसमें विलंब का कोई समुचित आधार नहीं बताया गया । यह तर्क दिया गया कि अपर जिला न्यायाधीश द्वारा अनावेदक कमांक 4 को मृतक राजेन्द्र सिंह का उत्तराधिकारी नहीं माना गया है और आवेदक को वैध उत्तराधिकारी माना है अतः अनावेदक कमांक 4 की ओर से किए गए अंतरणों से अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । व्यवहार न्यायालयों के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी हैं । अपर आयुक्त ने उक्त तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किया है, इस कारण अपर आयुक्त का आदेश निरस्ती योग्य है ।	

 R 1393-III/00

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
	4/ अनावेदकों के विद्वान अधिवक्ताओं को लिखित बहस पेश करने का समय दिया गया था किंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । 5/ आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश से स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए आदेश पारित कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित कियाग या है कि उभयपक्षों को अपनी–अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणदोष पर आदेश पारित किया जाये । उनके इस आदेश में कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अभी उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । सदस्य	